न्यायालय अपर जिला जज, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून।

निष्पादन वाद संख्या 91 वर्ष 2022

मै. एच. डी. बी. फाईनेन्स सर्विस लि. प्रति मशकूर जहूर एवं अन्य।

<u>दिनांक 22.02.2024</u>

पुकार लगाया गया। डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा की ओर से स्थगन प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 22डी प्रस्तुत। स्वीकृत।

2. पत्रावली का परिशीलन किया ।

3. पत्रावली के परिशीलन से अमीन आख्या कागज संख्या 19बी के अनुसार निर्णीतऋणी संख्या 1 की स्थावर सम्पत्ति कुर्क हो चुकी है। इसके उपरांत भी निर्णीतऋणी संख्या 1 द्वारा कोई धनराशि न्यायालय में जमा नहीं किया गया। तद्नुसार, कुर्क की गयी सम्पत्ति के विक्रय हेतु पुनः आदेशिका जारी किया जाए।

4. आदेशिका में निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया जाए–

1. निर्णीतऋणी की कुर्क की गयी सम्पत्ति।

2. वह रकम, जिसकी वसूली हेतु नीलामी किया जा रहा है।

3. उद्घोषणा जारी करने की तिथि 12.03.2024।

4. नीलामी की तिथि 12.04.2024।

5. नीलामी का स्थान जिला देहरादून।

3. डिक्रीदार द्वारा लोक नीलामी से कुर्क की गयी सम्पत्ति विक्रय करने हेतु जिला देहरादून में प्रचलित स्थानीय समाचार–पत्र में प्रकाशन भी करायें तथा सात दिन के भीतर आवश्यक पैरवी करें।

पत्रावली दिनांक 20.04.2024 को सम्बंधित अमीन की आख्या हेतु पेश हो।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
अपर जिला जज,
वाणिज्यिक न्यायालय,
देहरादून।